इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम
आवास प्रदाताओं के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आवेदन
1. मैं इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के लिए कैसे आवेदन करूं?
2. मैं कितने आवेदन जमा कर सकता/सकती हूं, क्या इस पर कोई सीमा है?
3. अगर मेरा किराएदार कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहे तो क्या होगा?

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण
4. मुझे कितनी सहायता मिल सकती है?
5. इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के अनुदानों को स्वीकृत आवेदकों में कैसे वितरित किया जाएगा?
6. यदि मेरा आवेदन स्वीकार हो जाता है तो क्या मुझे अनुदानों का वापिस भुगतान करना पड़ेगा?
7. आवेदन स्वीकार होने की सूरत में क्या आवास प्रदाता इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के अनुदानों पर कर का भुगतान करेंगे?
8. क्या इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम का अनुदान समाप्त हो सकता है?

पात्रता
9. इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
10. क्या इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम की सहायता के लिए अप्रवास की स्थिति की कोई आवश्यकताएं हैं?
11. यदि मेरे किराएदार को पूर्व में IHDA से आपातकालीन किराये की सहायता प्राप्त हुई हो तो क्या वे इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं?
12. मेरे किरायेदारों को धारा 8/आवास विकल्प वाउचर मिलते हैं। क्या वे इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के लिए पात्र हैं?
13. क्या कॉर्पोरेट आवास प्रदाता इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए पात्र हैं?

आवश्यक दस्तावेज़
14. इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए मुझे किस जानकारी की आवश्यकता होगी?
15. क्या मुझे आवेदन करने के लिए लीज़ की आवश्यकता है?
16. क्या मेरे ि किरायेदार को आवेदन करने के लिए सामाजिक सुरक्षा नंबर की आवश्यकता है?

समीक्षा प्रक्रिया से गुज़रना
17. आवेदन के मेरे भाग को पूरा करने के बाद क्या होगा?
18. मेरे किरायेदार द्वारा आवेदन के अपने भाग को पूरा करने के बाद क्या होगा?
19. मैं अपने जमा किए गए आवेदन की स्थिति की जांच कैसे कर सकता/सकती हूं?
20. क्या IHDA पूर्ण आवेदनों की समीक्षा करने के लिए लॉटरी प्रणाली का उपयोग करेगा?
21. मुझे कब सूचित किया जाएगा कि मेरा आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत हो गया है?
22. मुझे कैसे सूचित किया जाएगा कि मेरा आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत हो गया है?

अधिक जानकारी

23. क्या मैं अपने शहर या काउंटी द्वारा प्रस्तावित अन्य आपातकालीन किराया सहायता कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूं?
24. मैं कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नों के लिए किससे संपर्क करूं?
25. अगर मुझे लगता है कि इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के मामले में कोई व्यक्ति IHDA को झूठी जानकारी दे रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जब लागू हो, इस दस्तावेज़ में शामिल जानकारी को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा

आवेदन

1. **मैं इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के लिए कैसे आवेदन करूं?**
   - ILRPP आवेदन एक संयुक्त आवेदन है जो आवास प्रदाता के साथ शुरू होता है। आवास प्रदाता द्वारा अपना हिस्सा पूरा करने के बाद, किरायेदार से, आवेदन के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए निर्देशों के साथ, ईमेल से संपर्क किया जाएगा। **सभी ILRPP आवेदनों को ILRPP.IHDA.org पर जमा करना आवश्यक है।** आवेदन को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आवास प्रदाता और किरायेदार दोनों संयुक्त आवेदन के अपने-अपने हिस्सों को पूरा नहीं करते हैं।

   - जिन आवास प्रदाताओं या किरायेदारों को ऑनलाइन आवेदन तक पहुँचने में बाधाएं आती हैं उनकी मदद के लिए आवास सहायता सेवा संगठन मौजूद हैं। उपलब्ध एजेंसी से जुड़ने के लिए IHDA के ILRPP कॉल सेंटर से 1-866-454-3571 पर संपर्क करें।

2. **मैं कितने आवेदन जमा कर सकता/सकती हूं, क्या इस पर कोई सीमा है?**
   - कोई सीमा नहीं है। आवास प्रदाता पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अधिक से अधिक वर्तमान किराए के घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवास प्रदाताओं के लिए प्रत्येक परिवार के लिए अलग से आवेदन करना आवश्यक है।

3. **अगर मेरा किरायेदार कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहे तो क्या होगा?**
   - सहायता के लिए विचारधीन होने के लिए किरायेदारों का आवेदन में अपने हिस्से को पूरा करना आवश्यक है। यदि किरायेदार भाग नहीं लेता है, तो संयुक्त आवेदन पूरा नहीं किया जा सकता है और यह अयोग्य है।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

4. **मुझे कितनी सहायता मिल सकती है?**
   - जिन किरायेदारों के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, वे अपनी विशिष्ट जरूरत के अनुसार एक-मुश्त अनुदान प्राप्त करेंगे जिसका भुगतान सीधे उनके आवास प्रदाता को भेजा जायेगा। अनुदान राशि अलग-अलग होगी, और अधिकतम अनुदान राशि $ 25,000 प्रति किराएदार है। सहायता आपातकालीन किराये की सहायता के 15 महीनों को कवर करेगी, जिससे 12 महीने तक के छूटे हुए किराए का भुगतान और भविष्य के तीन महीने तक के किराये का भुगतान शामिल होगा। कवरेज की अवधि जून 2020 से अगस्त 2021 तक है।

5. **इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के अनुदानों को स्वीकृत आवेदकों में कैसे वितरित किया जाएगा?**

- यदि किरायेदार के आवेदन को स्वीकृति मिलती है तो IHDA आवेदन में प्रदान की गई भुगतान जानकारी का उपयोग करके चेक के रूप में किराएदार की तरफ़ से सीधे उनके आवास प्रदाता को अनुदान का भुगतान जारी करेगा।

6. **यदि मेरा आवेदन स्वीकार हो जाता है तो क्या मुझे अनुदानों का वापिस भुगतान करना पड़ेगा?**
   - नहीं, यह सहायता अनुदान है और वापिस भुगतान आवश्यक नहीं है।

7. **आवेदन स्वीकार होने की सूरत में क्या आवास प्रदाता इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के अनुदानों पर कर का भुगतान करेंगे?**
   - हां, आवास प्रदाता के लिए कर उद्देश्यों के लिए ILRPP सहायता को सकल आय माना जाएगा। किरायेदारों को ILRPP सहायता पर करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे घर के सदस्यों के लिए आय नहीं माना जाता है।

8. **क्या इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम का अनुदान समाप्त हो सकता है?**
   - आपातकालीन सहायता संघीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और हमारा मानना है कि इलिनॉय के पास सहायता के पात्र सभी लोगों की सहायता करने के लिए पर्याप्त धन है।

पात्रता

9. **इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?**
   - इलिनॉय के किरायेदार ILRPP सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं यदि:
     - परिवार अपने घर के किराए के भुगतान में कम से कम 30 दिन पीछे है।
     - परिवार इलिनॉय में रहता है और अपने घर को अपने प्राथमिक निवास के रूप में किराए पर लेता है।
     - परिवार के आकार के अनुसार समायोजित की गई 2020 की पारिवारिक आय, एरिया मीडियन इनकम (AMI) से 80% कम थी। (काउंटी की आय सीमाएं यहांढ़ंढ़ें)।
     - परिवार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण एक वित्तीय कठिनाई का अनुभव किया है जिसमें आय में कमी या खर्चों में वृद्धि शामिल है।

10. **क्या इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम की सहायता के लिए अप्रवास की स्थिति की कोई आवश्यकताएं हैं?**
    - नहीं, ILRPP सहायता अप्रवास की स्थिति की परवाह किए बिना इलिनॉय में सभी पात्र किराएदारों के लिए उपलब्ध है। ILRPP सहायता "पब्लिक चार्ज" का लाभ नहीं है।

11. **यदि मेरे किराएदार को पूर्व में IHDA से आपातकालीन किराये की सहायता प्राप्त हुई हो तो क्या वे इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं?**
    - हां, हालांकि, जिन किरायेदारों को 2020 में पिछले-देय किराए को कवर करने के लिए आपातकालीन किराये की सहायता प्राप्त हुई है वे केवल 2021 में पिछले-देय/अपेक्षित किराए के लिए ILRPP सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

12. मेरे किरायेदारों को धारा 8/आवास विकल्प वाउचर मिलते हैं। क्या वे इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के लिए पात्र हैं?

- इस समय नहीं - भविष्य के कार्यक्रम के अपडेटज़ के लिए कृपया www.IHDA.org पर जाएं। यदि परिवारों ने आय में बदलाव का अनुभव किया है तो इन स्थितियों में उन्हें किराए के समायोजन के लिए अपने कार्यक्रम संचालक से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

13. क्या कॉर्पोरेट आवास प्रदाता इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए पात्र हैं?

- नहीं, ILRPP सहायता के लिए पात्र होने के लिए इकाई को किरायेदार का पूर्णकालिक, प्राथमिक निवास होना आवश्यक है। अस्थायी आधार पर किराए पर लेने वाले या द्वितीयक निवास किराए पर लेने वाले किरायेदार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

14. इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए मुझे किस जानकारी की आवश्यकता होगी?

- आवेदन करने के लिए आवास प्रदाताओं को निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी:
  - पिछले-देय किराए के प्रमाण
  - 2019 संपत्ति कर का बिल या 2021 के मासिक मॉर्गेज विवरण की प्रति
  - चेक वितरण के लिए अनुदान भुगतान की जानकारी
  - वर्तमान हस्ताक्षरित लीज़ (यदि उपलब्ध हो)
  - SSN या ITIN
  - कर्मचारी पहचान नंबर (यदि भुगतान एक व्यावसायिक इकाई को किया जाता है)
  - किराए की इकाई की जानकारी (इकाई का प्रकार, पता, किराए की राशि)
  - पूरी तरह से निष्पादित और वर्तमान संपत्ति प्रबंधन समझौता (यदि भुगतान एक संपत्ति प्रबंधक को किया जाता है)
  - कार्यक्रम की शर्तों पर सहमति
  - मान्य ईमेल पता

15. क्या मुझे आवेदन करने के लिए लीज़ की आवश्यकता है?

- यदि उपलब्ध हो तो वर्तमान लीज़ प्रदान करना आवश्यक है। यदि वर्तमान लीज़ उपलब्ध नहीं है तब भी आवास प्रदाता और किराएदार को सहायता के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

16. क्या मेरेे किरायेदार को आवेदन करने के लिए सामाजिक सुरक्षा नंबर की आवश्यकता है?

- नहीं, सामाजिक सुरक्षा नंबर (SSN) या व्यक्तिगत करदाता आईडी नंबर (ITIN) केवल आवास प्रदाताओं के लिए आवश्यक है।

समीक्षा प्रक्रिया से गुज़रना

17. मेरे आवेदन के मेरे हिस्से को पूरा करने के बाद क्या होगा?

- किरायेदार को आवेदन के अपने हिस्से को पूरा करने के निर्देशों के साथ 24 घंटों के भीतर एक ईमेल प्राप्त होगा। आवास प्रदाताओं को दृढ़ता से अपने किरायेदारों के साथ संवाद करने और उन्हें जागरूक करने के

लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उन्होंने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि आवास प्रदाता और किरायेदार दोनों संयुक्त आवेदन के अपने-अपने हिस्सों को पूरा नहीं करते हैं ।

18. मेरे किरायेदार द्वारा अपने आवेदन के हिस्से को पूरा करने के बाद क्या होता है?

- आवास प्रदाता और किरायेदार दोनों के द्वारा अपनी जानकारी जमा करने के बाद, आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

19. मैं अपने जमा किए गए आवेदन की स्थिति की जांच कैसे कर सकता/सकती हूं?

- किरायेदार और आवास प्रदाता दोनों के द्वारा अपना आवेदन जमा करने के बाद, वे प्रत्येक DocuSign से ईमेल से एक आवेदन आईडी प्राप्त करेंगे। आवेदक ILRPP.ihda.org/status पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए इस आईडी का उपयोग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आवेदन की स्थिति के अपडेट तुरंत उपलब्ध नहीं होंगे।

20. क्या IHDA पूर्ण आवेदनों की समीक्षा करने के लिए लॉटरी प्रणाली का उपयोग करेगा?

- नहीं, हालांकि संघीय नियम IHDA के लिए उन किरायेदारों के आवेदनों को प्राथमिकता देना आवश्यक बनाते हैं जो 90+ दिनों से बेरोज़गार हैं और उन्हें जिनकी आय एरिया मीडियन इनकम के 50% से कम है।

21. मुझे कब सूचित किया जाएगा कि मेरा आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत हो गया है?

- IHDA को ILRPP सहायता के लिए अत्यधिक मांग की उम्मीद है और वे जितनी जल्दी हो सके पूर्ण आवेदनों की समीक्षा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम आवेदकों को स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में 60 से 90 दिनों के बीच सूचित करें।

22. मुझे कैसे सूचित किया जाएगा कि मेरा आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत हो गया है?

- कार्यक्रम के सभी संचार आवेदन में प्रदान किए गए ईमेल पते पर भेजे जाएंगे। आवास प्रदाताओं और किरायेदारों को आवेदन से जुड़े ईमेल खातों तक पहुंच बरकरार रखनी चाहिए।

अधिक जानकारी

23. क्या मैं अपने शहर या काउंटी द्वारा प्रस्तावित अन्य आपातकालीन किराया सहायता कार्यक्रमों पर आवेदन कर सकता/सकती हूं?

- हां, हालांकि, आवास प्रदाता एक ही अवधि के दौरान एक ही किरायेदार की तरफ़ से केवल एक स्रोत से किराये की सहायता स्वीकार कर सकते हैं।

24. मैं कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नों के बारे में किससे संपर्क करूं?

- कृपया www.IHDA.org पर सहायता के लिए मौजूद आवास सहायता सेवा एजेंसियों में से एक से संपर्क करें। अतिरिक्त सहायता के लिए इलिनॉय हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से 1-866-ILHELP-1 (1-866-454-3571) पर संपर्क करें।

25. अगर मुझे लगता है कि इलिनॉय किराया भुगतान कार्यक्रम के संबंध में कोई व्यक्ति IHDA को झूठी जानकारी दे रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

- IHDA धोखाधड़ी के सभी आरोपों को गंभीरता से लेता है। यदि किसी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि आपातकालीन किराये की सहायता प्राप्त करने के प्रयास में कोई व्यक्ति छलपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है, तो कृपया questions.ilrpp@ihda.org पर यथासंभव जानकारी के साथ संपर्क करें ताकि IHDA मामले की तुरंत छान बीन कर सके। वैकल्पिक रूप से, लोग ऑफ़िस ऑफ़ द ऐगज़ीक्युटिव इंसपेक्टर जनरल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।